

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर  
शहीद भगतसिंह महाविद्यालय बनाम गुरजन्तसिंह वगैरा व स्टेट  
अपील इंतकाल प्रकरण सं. 31 / 2017



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
28.02.17	<p>अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। धारा 96 सीपीसी0 के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील में गियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र आरजी तौर पर स्वीकार किया जाता है एवं जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोंडेन्ट्स को आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि अपीलकृत इंतकाल सं0 27 दिनांक 12-6-15 में वर्णित भूमि के संबंध में रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे तथा अपीलकृत भूमि को रहन- बँय न करें एवं अपीलांट के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।</p> <p>रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया जावे। पत्रावली दिनांक 06-04-17 को पेश हो। <i>Levio</i></p>	<p>608 28.02.17</p> <p>NR 616 28.02.17</p>
27.3.17	<p>अपीलांट के अड. के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलकृत भूमि सूसिका पंचायत द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स को अपीलांट के पक्ष में कसा दिया है, बैंक का वसाय त्रुटि भी असाकरता दिया है। अपीलकृत सूसिका इंतकाल अपीलांट के पक्ष से तस्वीक हो चुका है। अपीलांट अपील को आयुष्क मन्त्री यत्नासा चलाता है तथा अपील को Not Press कर दिया है। अतः अपील Not Press में खारिज की जाती है। पूर्व में जारी खसाना दि० 28.3.17 खारिज किया जाता है। आदेश की पक्षी सिव्ही न्यायालय को भेजी जाते। पत्रावली के सब सुधार की असावाक तन्साव दासिय दफ्तर को आदेश सूबे न्यायालय से सुधार गया। <i>Levio</i></p>	<p>27/3/17</p>